न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2021	11.01.2021	10.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. सुजान मल चीपड पुत्र श्री सोहनलाल चीपड (विक्रेता/एफ. बी.ओ.) फर्म मानसी प्लाजा. 7. ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ राज0। स्थायी निवास :–ए–5 महेश नगर बांगड सर्विस स्टेशन के पीछे भीलवाडा रोड चित्तौड़गढ़
2. कौशल्या देवी मालू पत्नि राधेश्याम मालू (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स श्री कमल गोल्ड टी ट्रेडर्स, हीरा वाटिका के पास बून्दी रोड, चित्तौडगढ राज., स्थायी निवास :– महेश नगर चित्तौड़गढ़ राज0 पिनकोड – 312001

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गूजर दिनांक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे है, एंव इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 53 पर अंकित है, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए इनको अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार इन्हे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक आवंटित किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गूजर दिनांक 28.10.2020 को समय 11.00 ए.एम पर कस्बा चित्तौड़गढ (राज.) में जिला कलक्टर महोदय द्वारा गठित सयुक्त जांच दल के साथ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैसर्स मानसी प्लाजा 7 ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा वहां पर सुजान मल चीपड उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर सुजान मल चीपड ने स्वंय को मैसर्स मानसी प्लाजा 7 ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने, चित्तौड़गढ़ (राज0) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुजान मल चीपड उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि में आम जनता को विक्रय करने हेतु चाय खुली मंगलम ब्राण्ड, राजगिरा आटा अंजलि ब्रॉड आदि अन्य खाद्य पदार्थो के साथ चाय श्री कमल पैक (**Tea Shree Kamal Gold Poly Pack**) जिसके बैच नं0 1 व पैंकिग दिनांक अक्टूबर 2020 थी। दुकान में 500–500 ग्राम के पॉली पैक वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये, में को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो सुजानमल चीपड को फार्म नं. **V A Form** दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. सुजानमल चीपड व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह चाय श्री कमल गोल्ड प0ली पैक (**Tea Shree Kamal Gold Poly Pack**) को वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ। दुकान में चाय श्री कमल गोल्ड पॉली पैक रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक चाय श्री कमल गोल्ड पॉली पैक का चयन किया एवं वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री सुजानमल चीपड को उनके माँगे अनुसार बाजार भाव से रू0 600/– अक्षरे छः सौ रुपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा व चयन शुदा 500–500 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 2 किलोग्राम चाय श्री कमल गोल्ड पॉली पैक (**Tea Shree Kamal Gold Poly Pack**) सुजानमल चीपड व गवाहान को दिखाकर उक्त के 500–500 ग्राम मूल पैक को बराबर–बराबर (प्रत्येक भाग में 1–1 पैकेट कुल मात्रा 500 ग्राम) अलग–अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड चयन कर चार अलग–अलग साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर, डिब्बो के ढक्कन को एयरटाईट बन्द किया एवं चार नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AM-1223** एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता सुजान मल चोपड तथा गवाहन के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. **AM-1223** नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकार प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भगों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुजानमल चीपड ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्ष अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 को छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 को दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाने हेतु तैयार किए एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने रोशन लाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.10.2020 को खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 20.10.2020 को जमा करवाकर रशीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर चाय श्री कमल गोल्ड पॉली पैक का नमूना क्रय करते समय सुजाननल चीपड पुत्र सोहन लाल चीपड मालिक मैसर्स मानसी प्लाजा 7, ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने, चित्तौड़गढ़ (राज.) ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स, हीरा वाटिका बून्दी रोड, बाय–पास चित्तौडगढ़ का खरीद बिल/इन्वाइस नं0 1227 दिनांक 27.10.2020 प्रस्तुत कर खाद्य/पेयपदार्थ चाय श्री कमल गोल्ड पॉली पैक क्रय करना बताया है। जिसकी छायाप्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4495 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल0एस0/219/एक्ट/2020/228 दिनांक 30.10.2020 के अनुसार एफ.बी.ओ. सुजान मल चीपड से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया चाय श्री कमल गोल्ड पॉली पैक (**Tea Shree Kamal Gold Poly Pack**) एफ.एस.एस.ए.की धारा **3(i)(zf)(A)(i)(a)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया। जिसकी जॉच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। जिसकी सूचना सुजानमल चीपड पुत्र सोहन लाल चीपड मालिक मैसर्स मानसी प्लाजा, 7 ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने, चित्तौड़गढ़ व प्रबंधक मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स, हीरा वाटिका बून्दी रोड, बाय–पास चित्तौड़गढ़ को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स, हीरा वाटिका बून्दी रोड, बायपास चित्तौड़गढ़ को पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/424 दिनांक 23.11.2020 व पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/438 दिनांक 17.12.2020 प्रेषित कर उक्त फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रति उत्तर में उक्त फर्म के व्यापारी में अपनी फर्म से सम्बन्धित खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि0 व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत कर उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्रीमति कौशल्या देवी मालू को होना बताया। प्रेषित दस्तावेज न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा प्रकरण से सम्बधित अनुसंधान पूर्ण होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति चाहने बाबत दिनांक 31.12.2020 को पत्रावली प्रस्तुत की, अभिहित अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3(ङ) के तहत समस्त पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021248 दिनांक 05.01.2021 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित अभियुक्तों के विरुद्व न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष पेश/प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। अतः में आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि श्री कमल गोल्ड पॉली पैक (**Tea Shree Kamal Gold Poly Pack**) को मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**ii**) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया। इस पर दिनांक 10.02.2021 को अप्रार्थीगण हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता नहीं होकर केवल मात्र विक्रेता है, जो कि निर्माता से पैक्ड खाद्य पदार्थ क्रय कर विक्रय करते है। अप्रार्थी संख्या 1 की खाद्य पदार्थ के मिसब्राण्ड पाये जाने पर कोई जवाब देहिता नहीं होती है, क्योंकि उक्त खाद्य पदार्थ के अप्रार्थीगण संख्या 1 निर्माता नहीं है अतः जवाब कार्यवाही प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावें। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं हाजिर आये। जवाब परिवाद पेश कर निवदेन किया कि अप्रार्थीया के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही की गई है उसमें खाद्य पदार्थ जो जांच में मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थीया के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये। यह प्रथम जांच है जिसमें अप्रार्थीया का खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थीया का खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाया गया एवं केवल लेबलिंग की मामूली त्रुटि है, जिस संबंध में प्रार्थीया द्वारा सुधार किया जा चुका है। अप्रार्थीया की आजीविका को एकमात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है, एवं अप्रार्थीया छोटा व्यापारी है इसके साथ ही अप्रार्थीया का प्रथम दोष है अतः अप्रार्थीया को माफ कराया जावें। अप्रार्थीया न्यायालय के समक्ष अपनी वचनबद्धता देती है कि अप्रार्थीया भविष्य में नियमानुसार एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर अपना व्यवासाय करेगी। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली रहें।

पक्षकारान द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर हमने पक्षकारान को सुना। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया कि विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को दोष मुक्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विपक्षीगण ने अपने कथन समाप्त कियें। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को श्री कमल गोल्ड पॉली पैक (**Tea Shree Kamal Gold Poly Pack**) का नमूना लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर गवाहान की शहादत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द का अवलोकन किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1223**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample packed in plastic box having original company poly aluminum packof 500g. Photo of Kamal (कमल) printed on the label which is misleading as likely to create an erroneous impression regarding its character Contravention to Regulation 2.2.1(3) & 2.3.1(1) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.
(ii) Physical appearance:- Tea leaves, fine flavor.
(iii) Label :-- Brand- No. 1 Shree Kamal Gold, Name of Artical- Tea, Pkd. by- Kamal Tea Traders, New Cloth Market, Near Hira Watika, Chittorgarh- 312001 (Raj.), Pkd. on.- OCT.2020, Batch No.- 1, BestBefore 12 Months From Packaging, Green symbol of veg.- Present. Nutritional Information - Present, Fssai Lic. No.- 12215019000080, Trademark No.- 1128434.
Opinion:- The sample of Tea (Shree Kamal Gold) bearing code no. and serial no. AM- 1223 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(zf}(A)(1)(a)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1223** श्री कमल गोल्ड पॉली पैक (**Tea Shree Kamal Gold Poly Pack**) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf}(A)(1)(a)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि उक्त खाद्य पदार्थ के निर्मात अप्रार्थी संख्या 1 नहीं होकर इसकी पैकेजिंग को दायित्व अप्रार्थी संख्या 2 का है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी संख्या 1 को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 सुजान मल चीपड पुत्र श्री सोहनलाल चीपड (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म मानसी प्लाजा. 7. ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ राज0। स्थायी निवास :–ए–5 महेश नगर बांगड सर्विस स्टेशन के पीछे भीलवाडा रोड चित्तौड़गढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 कौशल्या देवी मालू पत्नि राधेश्याम मालू (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स श्री कमल गोल्ड टी ट्रेडर्स, हीरा वाटिका के पास बून्दी रोड, चित्तौडगढ राज., स्थायी निवास :– महेश नगर चित्तौड़गढ़ राज0 पिनकोड – 312001 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.
(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 सुजान मल चीपड पुत्र श्री सोहनलाल चीपड (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म मानसी प्लाजा. 7. ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ राज0। स्थायी निवास :–ए–5 महेश नगर बांगड सर्विस स्टेशन के पीछे भीलवाडा रोड चित्तौड़गढ़ एवं अभियुक्त संख्या 2 कौशल्या देवी मालू पत्नि राधेश्याम मालू (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स श्री कमल गोल्ड टी ट्रेडर्स, हीरा वाटिका के पास बून्दी रोड, चित्तौडगढ राज., स्थायी निवास :– महेश नगर चित्तौड़गढ़ राज0 पिनकोड – 312001 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त संख्या 1 श्री सुजान मल चीपड पुत्र श्री सोहनलाल चीपड (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म मानसी प्लाजा. 7. ए मीरा नगर, पंचायत समिति के सामने चित्तौड़गढ़ राज0। स्थायी निवास :–ए–5 महेश नगर बांगड सर्विस स्टेशन के पीछे भीलवाडा रोड चित्तौड़गढ़ को 5000/– रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये एवं अभियुक्त संख्या 2 कौशल्या देवी मालू पत्नि राधेश्याम मालू (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स श्री कमल गोल्ड टी ट्रेडर्स, हीरा वाटिका के पास बून्दी रोड, चित्तौडगढ राज., स्थायी निवास :– महेश नगर चित्तौड़गढ़ राज0 पिनकोड – 312001 को 10,000/– रूपये कुल 15,000/– रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested